शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Vol -3
Issue -3
March
2025

कानून शिक्षा के प्रति जागरूकता और समाचार पत्र के बीच अंतःसंबंध

पंकज मिश्रा
शोधार्थी (पत्रकारिता और जनसंचार)
डॉ. नीरज कुमार पाण्डेय
शोध पर्यवेक्षक
सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.)

शोध सारांश

किसी भी समाज के विकास और सुचारु संचालन के लिए कानून का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कानून शिक्षा (Legal Education) न केवल व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने में भी सहायता करती है। वहीं, समाचार पत्र (Newspapers) समाज में सूचना का सशक्त माध्यम हैं, जो लोगों तक विविध प्रकार की जानकारियाँ पहुँचाते हैं, जिनमें कानूनी जानकारी भी शामिल है। कानून शिक्षा और समाचार पत्रों के बीच गहरा अंतःसंबंध है। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को कानून से संबंधित घटनाओं, परिवर्तनों, अदालती निर्णयों और कानूनी सुधारों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे आम जनता में कानूनी जागरूकता बढ़ती है और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। इसके अलावा, समाचार पत्रों में प्रकाशित कानूनी लेख, विशेषज्ञों के विचार और चर्चाएँ पाठकों को गंभीर मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा तकनीक आधारित परिवर्तन भी समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन के दौरान समाचार पत्रों में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे प्रयासों को अध्ययन में शामिल किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्र किस प्रकार से कानून की जानकारी देकर जनसामान्य को जागरूक कर सकते है, इनको अध्ययन में शामिल किया गया है।

बीज शब्द

मौलिक अधिकार, समाचार पत्र, कानूनी शिक्षा, जागरूकता, कर्तव्य आदि।

शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Vol -3
Issue -3
March
2025

प्रस्तावना

कानून की सामान्य रूप से जानकारी देने के लिये संचार माध्यम सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं। समाचार पत्र इस भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं, लेकिन कई कानूनों की जानकारी जनसामान्य को न होने के कारण भी परेशानी का सामना या न्याय से वंचित होने की स्थिति निर्मित होती है। समाचार पत्रों में हालांकि लगभग हर क्षेत्र की खबरों का प्रकाशन किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है, कि कानून से संबंधित खबरों की संख्या बाकी क्षेत्र की खबरों से कम होती हैं। इसके पीछे जो कारण सामने आते है, उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है, कि समाचार पत्रों के प्रतिनिधि या पत्रकारों को ही कानून की जानकारी नहीं होती है जिसके कारण वे उन खबरों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर समाचार पत्र तो वकीलों के माध्यम से ही खबरों को संकलित करते हैं। कुछसमाचार पत्रों द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों कीसमाचार पत्र के प्रतिनिधि के रूप में सेवायें लीजाती है और उनकोमानदेय का भुगतान कियाजाता है।

कोर्ट की रिपोर्टिंग के समय सबसे बड़ा खतरा या डर इस बात का होता है, कि कोई भी तथ्य की विवेचना ठीक से नहीं हो पाने की स्थिति में कोर्ट की अवमानना तोनहीं होगी। लगभग यही स्थिति अपराध की खबरों के साथ होती है। हालांकि अपराध की खबरों की विवेचना तो पत्रकार कर लेते हैं, लेकिन उन घटनाओं में पुलिस ने सही धाराओं में कार्रवाई की है, या फिर आरोपी को बचाने का प्रयास किया है, इसकी ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर अपराध की खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के मुख्य स्रोत पुलिस के ही निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो घटना की जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की या जो जानकारी दे नहीं पाते है या जानबूझकर उन जानकारियों को छिपा लेते हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती है। कई मामलों में देखा गया है, कि मामले की ट्रायल के दौरान या तो कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी पड़ती है या फिर नयी धारायें जोड़ने के निर्देश देने पड़ते हैं।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार से हैं।

1. समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों का अध्ययन करना।
2. समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों से पाठकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
3. समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

कानून की सामान्य जानकारी

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश के निवासियों को भारत के संविधान के मुताबिक कई अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके अलावा कानूनी न्याय व्यवस्था के द्वारा अधिकारों के साथ ही साथ कुछ कानून भी निर्धारित और कार्यान्वित किये गये हैं। यह कानून ऐसेलोगों सेदेश के निवासियों की मदद करते हैं, जो अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं । इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है, कि कानून, अधिकारों का लाभ उठाकर मनुष्य के भ्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन है।

कानून, विशेष नियमों की एक व्यवस्था है, जिसे अदालतों के द्वारा लागू किया जा सकता है। इन कानूनों को राज्य सरकार या केंद्र की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, कि कानून, विधायिका द्वारा बनाये गये नियमों का एक निकाय है। कानून ऐसे नियम हैं, विभिन्न समुदाय में रहने वाले सभी लोगों को बांधते है। कानून के द्वारा ही सामान्य अपनी सुरक्षा की रक्षा करते हैं और अन्य लोगों, संगठनों या स्वयं सरकार के द्वारा दुर्वयवहार के खिलाफ नागरिक अपने अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं।

समाचार पत्र और कानून

वैसे तो समाचार पत्रों में विविध विषयों की सामग्री प्रकाशित की जाती है। इन विषयों में समसामायिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बाजार, खेल, फैशन, जीवन शैली, अपराध, सांस्कृतिक और धर्म जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कानून संबंधी खबरों का भी प्रकाशन किया जाता है। यदि समाचार पत्रों में देखे तो सबसे ज्यादा राजनैतिक खबरों को प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अपराध से जुड़ी खबरों की संख्या होती है।

E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Vol -3
Issue -3
March
2025

समस्या आधारित खबरों का भी प्रकाशन स्थानीय स्तर के समाचारों के रूप में किया जाता है। कानून की खबरों की संख्या के हिसाब से देखें तो कानून की खबरों को कम संख्या में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ये खबरें समाज को जागरूक में अपनी अहम भूमिका का निवर्हन करती हैं। समय और सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाओं का अहम स्थान है। ऐसे में कानून संबंधी जानकारी लगभग हर समाज में रहने वाले लोगों के लिये जरूरी है। इसी आवश्यकता के आधार पर कानून की खबरों का प्रकाशन किया जाता है। हालांकि कानून की खबरों की संख्या उतनी नहीं होती है या इसके इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, कि इतने विस्तार से नहीं होती है, कि लोगों का जागरूकता का स्तर बढ़ सके।

समाचार पत्रों में कानून की खबरों का प्रभाव

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, कि समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली खबरों या विज्ञापनों का अपना प्रभाव होता है। इस प्रभाव से समाज का लगभग हर वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अब सवाल यह है, कि कानून संबंधी खबरों का किस प्रकार के प्रभाव होता है। जब किसी मामले की सुनवाई होती है, या न्यायालय के आदेश पारित होते हैं, तो लोगों को घटना और निर्णय दोनों की जानकारी होती है। ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं, जिनको निर्णय के बाद ही घटना या वारदात की जानकारी हो पाती है। हालांकि यह भी सच है, कि समाचार पत्रों में जिस प्रकार का विश्लेषण अन्य विविध प्रकार की खबरों को लेकर किया जाता है, उस प्रकार का विश्लेषण कानून संबंधी खबरों का पढ़ने के लिये नहीं मिलता है। विश्लेषणात्मक खबरें सबसे ज्यादा या जो राजनीति क्षेत्र की होती है, या फिर बालीवुड की। कानून की खबरें में विश्लेषण न होने सेपाठकों को सीधे तौर से समझने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। खबरों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, कि समाचार पत्रों में कानून की खबरें लिखने वाले विशेषज्ञों की कमी होती है। इसके अलावा कानून की खबरों का संकलन करने वाले पत्रकारों की भी कमी है। ज्यादातर समाचार पत्रों में विधि संवाददाता के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही यह जिम्मेदारी दे जाती है। पूर्णकालिक विधि संवाददाता न होने के कारण भी कानून की संबंधों की संख्या कम रह जाती है। इसके अलावा कानून की खबरों में नियमितता

का भी अभाव होता है। जब कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किये जाते हैं तो समाचार पत्रों में जगह मिलती है। इसके बाद फालोअप जैसी कोई खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने के लिये नहीं मिलती है। इसके अलावा कानून से संबंधित प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्तियों बड़ी संख्या में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अलावा विज्ञापनों की संख्या भी पर्याप्त होती है।

निष्कर्ष

कानून की पूरी जानकारी पत्रकारों को न हो पाने और कोर्ट की अवमानना के डर से भी कानून की खबरों की संख्या बाकी खबरों की तुलना में कम रहती है। प्रस्तुत अध्ययन के दौरान कानून, कानूनी शिक्षा के महत्व और समाचार पत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है। कानून, समाज में आचरण का एक आदर्श स्थापित करता है। किसी भी देश के द्वारा कानून, नागरिकों केहितोंकीरक्षा के लिये बनाये जाते हैं। कानून के जरिये ही सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जा सकते हैं, इसलिये यह जरूरी है, कि कानून की जानकारी के लिये कानून की खबरें समाचार पत्रों में न सिर्फ प्रकाशित हो, बल्कि वे खबरें समाज में जागरूकता के लिये भी जरूरी हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ प्रमोद कुमार अग्रवाल (2021) भारत का संविधान, प्रभात प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पेज संख्या-27
2. डॉ प्रमोद कुमार अग्रवाल (2021) भारत का संविधान, प्रभात प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पेज संख्या-32
3. शिक्षा का विश्वकोश-1972
4. https://www.legalserviceindia.com/legal/article--199legal-education-system-in-india.html
5. https://www.iilsindia.com/blogs/development-of-legal-education-in-india
6. https://www.mpgkpdf.com//05/2020history-of-news-paper-in-mp.html